कार्यालय जिलाधिकारी, शामली।

संख्याः– 285 / नाजिर सदर–18, दिनाँक 14–9–2018

ऑन लाईन निविदा

तहसील कार्यालय ऊन जनपद शामली हेतु फर्नीचर क्रय किये जाने हेतु ऑनलाईन निविदायें (http://etender.up.nic.in) पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत संस्थाओं से दिनाँक 24–09–2018 के अपराह्न 04.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है, उक्त ई0 निविदा की टेक्निकल बीड अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में फर्नीचर क्रय हेतु गठित समिति के समक्ष, उपस्थित निविदादाता संस्थाओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में दिनाँक 24–09–2018 को अपरान्ह 04.30 बजे टैक्निकल बीड तथा उसी दिन फाईनेन्शल बीड सायं 5.00 बजे ऑन लाईन खोली जायेगी ।

ऑन लाईन निविदा के साथ संस्था को पिछले एक वर्ष की आई0टी0आर0 की छायाप्रति एवं जी.एस.टी. पंजीकरण की छाया प्रति तथा धरोहर धनराशि अंकन–50,000/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर. जिलाधिकारी शामली के पक्ष में बनवाकर ऑनलाईन अपलोड करना होगा। दिनाँक 24–09–2018 को अपराहन 04.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में हार्डकॉपी में आई0टी0आर0 की छायाप्रति एवं जी.एस.टी. पंजीकरण की छाया प्रति तथा धरोहर धनराशि अंकन–50,000/– रूपये का बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी.आर.जमा कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा की दशा में सम्बन्धित संस्था को निविदा प्रकिया में शामिल नही किया जायेगा। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार जिलाधिकारी शामली को होगा।

नियम व शर्तेः

1– यह निविदा सूचना वेबसाइट (http://etender.up.nic.in) राजस्व विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

2– निविदादाता द्वारा वेबसाइट (http://etender.up.nic.in) पर ऑन लाईन निविदा दिनाँक 14–09–2018 को अपराहन 4.00 बजे से दिनाँक 24–09–2018 को अपराहन 04.00 बजे तक डाउनलोड/अपलोड की जा सकेगी। दिनाँक 24–09–2018 को अपरान्ह 04.30 बजे टैक्निकल बीड तथा उसी दिन फाईनेन्शल बीड अपरान्ह 5.00 बजे कलक्ट्रेट कार्यालय शामली में खोली जायेगी।

3– फर्नीचर की आपूर्ति संलग्न टेक्निकल स्पेशीफिकेशन में दी गयी स्पेशीफिकेशन के अनुरूप ही की जायेगी।

4– आपूर्ति आदेश निर्गत होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था द्वारा फर्नीचर की आपूर्ति का कार्य 07 दिवस के भीतर कराया जायेगा।

5– फर्नीचर तहसील कार्यालय ऊन में पंहुचाने का कार्य कार्यदांयी संस्था द्वारा कराया जायेगा।

6– कार्यदांयी संस्था द्वारा सन्तोषजनक कार्य पूर्ण करने के पश्चात भुगतान नियमानुसार किया जायेगा।

7– किसी विवाद की स्थिति में समिति द्वारा लिया गया निर्णय सर्वमान्य होगा।

8– धरोहर राशि जमा करना अनिवार्य है, बिना धनराशि के प्राप्त निविदाओं पर विचार नही किया जायेंगा।

9– ऐसी संस्था जो निविदा में उल्लिखित समस्त फर्नीचर की आपूर्ति करने में समक्ष हों, वही संस्था निविदा प्रक्रिया में शामिल हों।

(के0 बी0 सिंह)
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
शामली।

कार्यालय जिलाधिकारी शामली।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी महोदय जिला शामली की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2– जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, शामली को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति जनपद की वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

3– नाजिर सदर को इस निर्देश से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करें।

4– निविदा समिति को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0)
शामली।

Scanned by CamScanner